

14.11.19 वादी एवं प्रतिवादी सं। खे प तथा गे 10 बीघा जमीनी
पक्ष

मध्यस्थता केंद्र का अग्रिम आदेश प्राप्त है।
वाद पक्ष से उभय पक्ष अपने अपने वि०
अधिकृतों के साथ उपस्थित हुए। मध्यस्थता केंद्र के
प्रतिवेदना गुणा मध्यस्थता असफल रहा। उभय पक्षों को
वाद पक्ष निष्पत्ति के विन्दु पर सुना। वाद पक्ष को
निष्पत्ति किन्ना गणना

वादी साक्ष्य प्रस्तुत करे।

वाद दिनांक 04.11.19 वास्तव वादी साक्ष्य
(लेखाधीन)
मुद्रित